भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग - 1, खण्ड - 1) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

सार्वजनिक सूचना सं0 8 (आर ई : 2010)/2009-2014

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर, 2010

विषय : परिशिष्ट 25ग, परिशिष्ट 25घ तथा टिप्पणी के तहत क्रम सं0 9 में संशोधन के संबंध में ।

विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्द्वारा, प्रक्रिया पुस्तक, (खण्ड 1), 2009-2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

1. "बैंक गारण्टी प्रपत्र" से संबंधित परिशिष्ट 25 ग की 'टिप्पणी' के तहत क्रम सं0 3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

3. **"बैंक गारण्टी, निर्यात (अनुमत निर्यात आदेश तिथि) की तारीख से 24 माह की अवधि की समाप्ति तक वैध होगी । डीईपीबी स्कीम/प्रोत्साहन स्कीम के तहत एक आवेदन के मद्दे अनेक एस/बी प्रस्तुत करने के मामले में, 24 माह की अवधि, नवीनतम एस/बी की अनुमत निर्यात आदेश तिथि से होगी । रिवाल्विंग बैंक गारण्टी के मामले में, बैंक गारण्टी तब तक वैध होगी जब तक कि नीति के अनुसार सरकार की संतुष्टि के तहत पार्टी के सभी दायित्व पूरी तरह व अन्तिम रूप से पूरे कर लिए गए हों और पार्टी अथवा गारंटर को लिखित रूप से इसकी सहमति दे दी गई हो, जैसा भी मामला हो ।"

2. "विधिक वचनबद्धता प्रपत्र" से संबंधित परिशिष्ट 25 घ की 'टिप्पणी' के तहत क्रम सं0 4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

4. ** " निर्यात की तारीख (अनुमत निर्यात आदेश की तारीख) से 24 महीने की समयावधि तक विधिक वचनबद्धता वैध होगी । डीईपीबी अथवा विदेश व्यापार नीति के अध्याय - 3 के तहत किसी विशिष्ट मुक्त रूप से हस्तांतरणीय प्रोत्साहन स्कीम के लिए आवेदन के मद्दे प्रस्तुत एस/बी की संख्या के मामले में, 24 माह की समयावधि नवीनतम

एस/बी के अनुमत निर्यात आदेश की तारीख से होगी । रिवाल्विंग विधिक वचनबद्धता के मामले में, विधिक वचनबद्धता तब तक वैध होगी जब तक कि नीति के अनुसार सरकार की संतुष्टि के तहत पार्टी के सभी दायित्व पूरी तरह व अन्तिम रूप से पूरे कर लिए गए हों और पार्टी को लिखित रूप से इसकी सहमति दे दी गई हो ।"

3. परिशिष्ट 25घ के बाद उल्लिखित "बैंक गारण्टी/विधिक वचनबद्धता के निष्पादन के मामले में दिशा-निर्देश" के तहत क्रम सं0 9 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

9. "आवेदक के पास प्रत्येक आवेदन या रिवाल्विंग बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता के मद्दे बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करने का विकल्प रहेगा । रिवाल्विंग बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता एक विशिष्ट स्कीम तक सीमित रहेगी, जिसका तात्पर्य है कि उपरोक्त निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत एक निर्यातक/पार्टी के लिए अलग-अलग स्कीमों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक स्कीम के लिए अलग से बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी । एक क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता का उपयोग अलग-अलग आवेदनों के लिए अन्य क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता के लिए नहीं किया जा सकेगा । रिवाल्विंग बैंक गारण्टी/विधिक वचनबद्धता, तब तक वैध होगी जब तक कि नीति के अनुसार सरकार की संतुष्टि के तहत पार्टी के सभी दायित्व पूरी तरह व अन्तिम रूप से पूरे कर लिए गए हों और पार्टी अथवा गारंटर को लिखित रूप से इसकी सहमति दे दी गई हो, जैसा भी मामला हो ।"

इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

(पी.के.चौधरी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं अपर सचिव, भारत सरकार

(फा0सं0 01/94/180/1032/ए एम 10/पीसी-4(ख) से जारी)